4. रिपू पुत्री स्व. श्री हरदेवसिंह जाति जटसिख साकिन धरिंगांवाली तहसील पदमपुर जिला श्री गंगानगर राज.।
5. सुमनदीपकौर पुत्री स्व. श्री हरदेवसिंह जाति जटसिख साकिन धरिंगांवाली तहसील पदमपुर जिला श्री गंगानगर राज.।
6. सतवीरसिंह पुत्र स्व. श्री हरदेवसिंह जाति जटसिख साकिन धरिंगांवाली तहसील पदमपुर जिला श्री गंगानगर राज.।
7. आदेवसिंह पुत्र स्व. श्री बुल्लासिंह जाति जटसिख साकिन धरिगांवाली तहसील पदमपुर जिला श्री गंगानगर राज.।– (मृतक)
7/1 गुरदीपकौर पत्नी स्व. श्री आदेवसिंह जाति जटसिख निवासी 2 एम.एम. धरिगांवाली तहसील श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर।
7/2 परमजीतसिंह पुत्र स्व. श्री आदेवसिंह जाति जटसिख निवासी 2 एम.एम. धरिगांवाली तहसील श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर।
7/3 परविन्द्रसिंह पुत्र स्व. श्री आदेवसिंह जाति जटसिख निवासी 2 एम.एम. धरिगांवाली तहसील श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर।
7/4 परमजीतकौर पुत्री स्व. श्री आदेवसिंह जाति जटसिख निवासी 2 एम.एम. धरिगांवाली तहसील श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर।
7/5 राजवीर कौर पुत्री स्व. श्री आदेवसिंह जाति जटसिख निवासी 2 एम.एम. धरिगांवाली तहसील श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर।
7/6 गुरमीतकौर पुत्री स्व. श्री आदेवसिंह जाति जटसिख निवासी 2 एम.एम. धरिगांवाली तहसील श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर।
8. सुखदेवसिंह पुत्र स्व. श्री बुल्लासिंह जाति जटसिख साकिन 75 एनपी तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर (राज.)।

—:अप्रार्थीगण

<u>वादपत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थानकाश्तकारीअधिनियम</u>

तारीख रजू 17.12.2018

उपस्थितअधिवक्तागण
1. गुरप्रतापसिंह .प्रार्थी अधिवक्ता।
2. श्रीसोहन वर्मा अप्रार्थीगण अधिवक्ता।

दिनांक :—26.11.2024

—: <u>निर्णय</u> :—

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण एक ही परिवार के है प्रार्थी के स्व. पिता आत्माराम ने अपने जीवनकाल में अपने भाईयों अप्रार्थीगण रामसिंह, सुखदेवसिंह, आदेवसिंह, स्व. तेजसिंह व स्व. हरदेवसिंह के साथ संयुक्त रूप से पूर्ण प्रतिफल अदा करते हुये पंजीकृत बैयनामा दिनांक 09.01.1995 को तत्कालीन राजस्व अभिलेख अनुसा लालपुरा बड़ा तहसील रायसिंहनगर का खसरा नं. 34/1 के कि.नं. 1–2–9–10–11–12–20 प्रत्येक सालम–सालम, 19 की 0.19 बिस्वा व तत्कालीन समय पी.टी.डी. माईनर से सिंचित कि.नं. 22 की 0.08 बिस्वा कुल 7.18 बिस्वा भूमि काहनसिंह वगैरा पि. रंगासिंह से क्रय कर कब्जा प्राप्त काबिज हो गये। यहां यह उल्लेख करना न्यायोचित होगा कि समयानुसार समस्त रकबा सिंचित होने व खाला व रास्ता के समायोजन पश्चात हुवे परिवर्तन अनुसार उक्त भूमि राजस्व अभिलेख में वाके चक 14 पी. टी.डी. तहसील रायसिंहनगर के पं.नं. 273/340 मु.नं. 27 के कि.नं. 1/2 की 0.203 है., कमाण्ड मय खाला 2 की 0.253 है. मय खाला 9 की 0.253 है., 10/2 की 0.203है. कमाण्ड, 11/2 की 0.202है., कमाण्ड, 12 की 0.253है., 19 की 0.253 है.कमाण्ड, 20/2 की 0.203है. कमाण्ड, 21/2 की 0.063 है. कमाण्ड, 22 [illegible] है. कमाण्ड मय खाला के रूप में दर्ज हुई ओर साथ ही यह उल्लेख करना [illegible] होगा कि बैयनामाजात अनुसार अमलदरामद करवाने के [illegible] पटवारी देने पर दिये गये आश्वासन व विश्वास पर [illegible] हो गये, मगर [illegible] अभिलेखों में अमलदरामद नहीं हुआ और रकबा मूल खाते [illegible] से ही रहा। प्रार्थी के पिता अपने भाईयों के साथ संयुक्त [illegible] ओर पारिवारिक व्यवस्था अनुसार उनके मध्य हुवे बाहमी बंटवारा व व्यवस्था अनुसार [illegible]पादित रकबा क्रय करने के 2–3 साल बाद ही प्रार्थी के पिता आत्मासिंह के हिस्सा में आकर उनके एकल कब्जा में आने उपरांत उन्होने अपने आपको मालिक/खातेदार मानते हुये

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2024.12.12 16:03:32 IST
Reason: SelfAttested

AnyScanner

अपने जीवनकाल में व उनके देहान्त उपरान्त प्रार्थी ने काफी शारीरिक मेहनत व खर्चा लगाकर बजड़ निकालते हुये उपजाऊ बनाया। इस प्रकार विवादित रकबा पर लगभग 40 सालों से कब्जा काश्त प्रार्थी के पिता आत्मासिंह का उनकी मृत्यु तक व उनके देहान्त उपरान्त प्रार्थी का निरन्तर, लगातार निर्बाध रूप से बिना किसी विवाद के अप्रार्थीगण के ज्ञान व जानकारी में चला आ रहा है। पारिवारिक व्यवस्था व बंटवारा अप्रार्थीगण या अन्य के विवादित रकबा में कोई हक–हकूक वा अधिकार शेष नही है ना ही उन्होने हक–हकूक वा अधिकार मानते हुये कब्जा की मॉग की है, अप्रार्थीगण अब पारिवारिक मनमुटाव के कारण बिला वजह प्रार्थी की नाहक हैरान परेशान करने के लिये धमकी दे रहे कि वे प्रार्थी को विवादित रकबा से जबरन बेदखल कर कब्जा करेंगें। इसलिये प्रार्थी को विवादित रकबा से जबरन बेदखल कर कब्जा करेगें । इसलिये प्रार्थी वाद लाने का अधिकारी है । प्रार्थी के नाम से नामान्तरित करवाने की अपेक्षित कार्यवाही करे तो अप्रार्थीगण प्रथमतः टालमटोल पश्चात् अतंतः दिनांक 4–11–2018 को बमुकान 75 एनपी में ऐसा करने से स्पष्ट इन्कार करते हुये प्रार्थी को विवादित रकबा से जबरने बलपूर्वक विधिविरूध व दोषपूर्ण तरीके से बेदखल करने की धमकी दी, इसलिये प्रार्थी को अपने विधिक अधिकारों की संसुरक्षा व स्थाई व्यादेश प्राप्ति के लिये माननीय न्यायालय में वाद लाना पड़ा । अतः अप्रार्थीगण के विरूद्व वाद के निस्तारण तक अस्थाई व्यादेश पाने का विधिक अधिकारी है। प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का सन्तलुन प्रार्थी के पक्ष में बनता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण के विरूद्व अस्थाई व्यादेश मूल वाद के निर्णय तक पारित फरमाया जावे कि वे वाके चक 14पीटीडी तहसील रायसिंहनगर के प.न. 273/340 मु.न. 27 के कि.न. 1/2 के .203, 2/.253, 9/.253, 10/2 के.203 , 11/2 के .202, 12/.253, 19/.253, 20/2 के .203, 22/.012 कुल .895 है0 कमाण्ड मय खाला खातेदारी कृषि भूमि चले आ रहे प्रार्थी के कब्जा काश्त उपयोग–उपभोग व सिंचाई सुविधा में स्वयं या अपने हितबद्व व्यक्तियों के माध्यम से किसी प्रकार की बेजा मदाखलत करने से व स्वयं या अन्य के माध्यम से प्रार्थी को जबरन बलपूर्वक विधिविरूध तरीके से बेदखल कर कब्जा अन्य हाथों में सुपुर्द करने व रिकॉर्ड व मौका की स्थिति में परिवर्तन करने से बाज व ममनू रहे तथा ऐसा कोई भी कृत्य न करे जिससे प्रार्थी अपने उक्त रकबा से बेदखल व वंचित होता हो।

प्रार्थी के द्वारा प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर सम्बधित पक्षकारान को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से श्री अनिल खडवासरा एवं श्री सोहन वर्मा अधिवक्तागण उपस्थित आये। अप्रार्थी सं. 1 व 6 ता 18 ने अपने जबाव प्रार्थना–पत्र में प्रार्थी के प्रार्थना–पत्र में अंकित तथ्यों का विरोध प्रकट करते हुये अपने अतिरिक्त आपति व कांऊटर क्लेम अंकित किया कि रिकॉर्डड खातेदार आवश्यक पक्षकार थे , जिसे पक्षकार नहीं बनाया । इस प्रकार पक्षकारों के कुसंयोजन वा का दोष होने के कारण वाद वादी काबिल निरस्ती के होने से प्रार्थना–पत्र नाकाबिल चलने के है। प्रार्थी को मिन अप्रार्थीगण के विरूद्व कोई बिनाये दावा बिनाये मुखास्मत हासिल नहीं होने से वाद वादी काबिल निरस्ती के होने से प्रार्थना–पत्र नाकाबिल चलने के है। प्रार्थी द्वारा कोई लिखित पारिवारिक समझोता या बंटवारानामा भी पेश नहीं किया है, जिसके अभाव में वाद वादी काबिल चलने के नहीं होने से प्रार्थना–पत्र नाकाबिल चलने के है। प्रार्थी खातेदार टिनेन्ट नहीं होने के कारण प्रार्थना–पत्र नाकाबिल चलने के है। प्रार्थी सद्भावी नहीं है। उसने प्रकरण मिथ्या या आधारहीन तथ्यो पर अप्रार्थीगण को नाहक हैरान परेशान करने वा नुकसान पहूँचाने के आश्य से पेश किया है जो काबिल निरस्ती के है और मिन अप्रार्थीगण प्रार्थी से विशेष हर्जाना कम से कम 20 हजार रूपये पाने के अधिकारी है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र मौजूदा स्तर पर मय हर्जा–खर्चा खारिज फरमाया जाकर खर्चा जबावदेही वा विशेष हर्जाना मिन अप्रार्थीगण को दिलवाया जावे।

प्रार्थी गुरविन्द्र सिहं वगैरा की ओर से वकील प्रार्थीगण ने प्रार्थना–पत्र आदेश 22 नियम 4 व 9 एवं धारा 151 सीपीसी का प्रस्तुत किया। जिस पर अप्रार्थीगण के वकील के द्वारा एतराज न होने पर नियमानुसार प्रार्थना–पत्र आदेश 22 नियम 4 व 9 व धारा 151सीपीसी का न्यायहित में स्वीकार किया गया। वकील प्रार्थी के द्वारा संशोधन शीर्षक प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया। अप्रार्थी सं. 1 ता 4 के द्वारा जबाव प्रार्थना–पत्र कई अवसर दिये जाने पर भी प्रस्तुत नहीं किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2024.12.12 16:03:32 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

SCAN AnyScanner

बहस पक्षकारान अधिवक्तागण सुनी गई। वकील प्रार्थीगण ने अपनी बहस में अपने प्रार्थना–पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते कथन किया कि विवादित भूमि प्रार्थी के पिता व उनके भाईयों अप्रार्थीगण रामसिहं , सुखदेव सिहं , आदेव सिहं स्व. तेजा सिहं व स्व. हरदेव सिंह के साथ संयुक्त रूप से पूर्ण प्रतिफल अदा करते हुये के जरिये बैयनामा दिनांक 9.1.1975 खरीद शुदा है। प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण के विरूद्व स्थगन आदेश पारित किया जाने हेतु निवेदन किया। वकील अप्रार्थीगण ने अपने जबाब प्रार्थना–पत्र में अंकित किया है कि प्रार्थी विवादित भूमि खातेदार टिनेन्ट नहीं है। ना ही कोई पारिवारिक बंटवारा संमझोता का हुआ है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र मय खर्चा खारिज फरमाया जाने हेतु निवेदन किया है।

बहस पक्षकारान के अधिवक्तगण का ध्यान पूर्वक अध्ययन किया गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज का अवलोकन से विवादित भूमि चक वाके चक 14 पीटीडी की जमाबन्दी सम्वत् 2070–2073 के खाता सं. 10/9 का मु.न. 27 प.न. 273/340 कि.न. 1/2 के .203, 2/.253, 9/.253, 10/2 के.203 , 11/2 के .202, 12/.253, 19/.253, 20/2 के .203, 22/.012 कुल 1.895 है0 कमाण्ड मय खाला खातेदारी कृषि भूमि गणपत वल्द .देशम .633है., तनसुख वल्द सन्तोष .633है. ,बालूराम वल्द मंगलाराम .632 है. कोम तारग (मोरूसीदार) खातेदार दर्ज है। उक्त विवादित भूमि प्रार्थी के पिता आत्माराम ने अपने जीवनकाल में अपने भाईयों अप्रार्थी रामसिहं , सुखदेव सिहं , आदेव सिहं, स्व. तेजा सिहं व स्व. हरदेव सिहं के साथ संयुक्त रूप से पूर्ण प्रेतिफल अदा करते हुये जरिये पंजीकृत बैयनामा दिनांक 9.1.1975 के द्वारा खरीद शुदा है। जबसे उक्त भूमि पर प्रार्थीगण का कब्जा काश्त चला आ रहा है। इसके खण्डन में अप्रार्थीगण ने कोई दस्तावेजात साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। उक्त विवादित आराजी का प्रार्थीगण खातेदार टिनेन्ट नहीं है। ना ही इन के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। विवादित आराजी पर कब्जा प्रार्थीगण का बताया है। विवादित भूमि पर किस का कब्जा है या नहीं । इन बिन्दूओं को मूल वाद में दोनों पक्षों के साक्ष्य लिये जाकर मेरिट के आधार पर किया जाना है । फिलहाल को स्थगन प्रार्थना–पत्र का ही निस्तारण किया जाना है। प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर प्रार्थीगण का प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का सन्तुलन प्रार्थीगण का बनता है। ऐसे में प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

**–:आदेश:–**

उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण के विरूद्व इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा मूल वाद के निर्णय तक पारित की जाती है कि वाके चक 14 पी.टी.डी. तहसील रायसिंहनगर के पं.नं. 273/340 मु.नं. 27 के कि.नं. 1/2 की 0.203 है., कमाण्ड मय खाला 2 की 0.253 है. मय खाला 9 की 0.253 है., 10/2 की 0.203है., कमाण्ड, 11/2 की 0.202है., कमाण्ड, 12 की 0.253है., 19 की 0.253 है.कमाण्ड, 20/2 की 0.203है. कमाण्ड, 21/2 की 0.063 है. कमाण्ड, 22 की 0.012है. कमाण्ड कुल 1.898है. कमाण्ड भूमि मय खाला को प्रार्थीगण कब्जा काश्त भूमि में किसी प्रकार का हस्तक्षेप व रिकॉर्ड में हस्तारण नहीं करे तथा रिकॉर्ड एव मौका की यथास्थिति मूल वाद के निर्णय तक बनाये रखेगे।

निर्णय आज दिनांक 26.11.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुभाष चन्द्र)
उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2024.12.12 16:03:32 IST
Reason: SelfAttested

SCAN AnyScanner